HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11160/2026
CNR: RJHC020670562026 | URN: CRLMB / 20642U / 2026

Namonarayan S/o Bharosi, Aged About 22 Years, R/o Nayapura, Naugaon, Police Station Sadar Gangapur City, District Sawai Madhopur (Rajasthan) (Presently Confined Sub Jail Gangapur City, District Sawai Madhopur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bantoo Mali, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

13/08/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–सदर गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–128/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 61(2)(a) बी.एन.एस. तथा धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, अभियुक्त दिनांक 12.05.2026 से अभिरक्षा में है, अनुसंधान होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त का यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध साईबर फ्रॉड के माध्यम से 1,35,239/– रुपये की ठगी करने का आरोप है। प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 12.05.2026 से अभिरक्षा में है, अनुसंधान होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **नमोनारायण पुत्र भरोसी** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

54/DINESH KUMAWAT